राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 827/2011/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अग्रवाल एण्ड संस,
115– मिश्रराजा जी का रास्ता, चॉदपोल बाजार, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 91/अपील्स–चतुर्थ/09–10/एफ में पारित आदेश दिनांक 13.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित कुल मांग राशि रूपये 5,24,535/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 17.06.2009 को वाहन संख्या RJ–02–GA–3178 को बहरोड से पहले चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी श्री शिवचरण ने परिवहनित माल दिलबाग गुटखा लदा होना जाहिर किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेजों की जांच पर प्रथम दृष्ट्या दस्तावेज संदेहास्पद प्रतीत होने पर परिवहनित माल गुटखा राज्य के बाहर से राज्य में करापवंचन की नियत से दस्तावेजों को पुनः प्रयोग में लेकर परिवहनित माल के यथोचित दस्तावेज नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) तहत् नोटिस जारी किया। वाहन चालक द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर कुल मांग राशि रूपये 5,24,535/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील

लगातार.....2

प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित कुल मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राज़कीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेजों का उपयोग पूर्व में किसी भी वाहन में माल परिवहनित करने के लिए नहीं हुआ था, सशक्त अधिकारी ने मात्र वाहन चालक के बयानों को आधार मानकर मांग राशि का आरोपण कर दिया। मांग राशि के आरोपण से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच की कार्यवाही नहीं की गई एवं दस्तावेजों को दुबारा उपयोग करते हुए माल परिवहन को मान लिया। सशक्त अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के मांग का आरोपण कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ मौजूद दस्तावेजों के संदेहास्पद होने से दस्तावेजों को पुनः उपयोग में लिया माना जाकर मांग राशि का आरोपण कर दिया। इस बारे में कोई जांच नहीं की गई। मात्र संदेह के आधार पर शास्ति का आरोपण किया जाना विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में मांग राशि का आरोपण किया जाना विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता हैं। अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष